भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 110**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**तमिलनाडु में ‘महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए समर्थन’ योजना का कार्यान्वयन**

**\*110. श्री तिरुची शिवाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी) नामक योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उस राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है और वहां कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

\*\*\*\*\*

**'तमिलनाडु में ‘महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए समर्थन योजना का कार्यान्वयन' विषय पर श्री तिरुची शिवा द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 110 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (ग) : महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रमहेतु सहायता (स्‍टेप) कार्यक्रम वर्ष 1986-87 से तमिलनाडु सहित पूरे देश में क्रियान्‍वित किया जा रहा था । इस स्‍कीम को 2017 से बंद कर दिया गया, ताकि स्‍कीम की पुनरावृत्‍ति और लागत के खर्च से बचा जा सके, क्‍योंकि स्‍टेप स्‍कीम का उद्देश्‍य कौशल विकास और उद्यमवृत्‍ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाए जा रहे कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्‍यों के समान था । इस स्‍कीम के अंतर्गत पिछली बार परियोजनाएं वर्ष 2015-16 में स्‍वीकृत की गई थीं ।

 स्‍टेप स्‍कीम के अंतर्गत तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए वर्ष 2015-16 में परियोजना क्रियान्‍वयन अभिकरणों को तीन परियोजनाएं स्‍वीकृत की गई थीं । परियोजनाओं के लिए आबंटित कुल राशि 69.84 लाख थी और निर्मुक्‍त की गईं निधियां 47.57 लाख थीं ।

 स्‍टेप स्‍कीम के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्‍ति सीधे परियोजना क्रियान्‍वयन अभिकरणों को की जाती थीं । स्‍टेप परियोजनाओं का निरीक्षण वास्‍तविक और वित्‍तीय मापदंडों के अनुसार उनकी मौजूदा स्‍थिति और प्रगति का मूल्‍यांकन करने के लिए संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा किया जाता था । संबंधित राज्‍य सरकार की सिफारिश प्राप्‍त होने के पश्‍चात अगली किस्‍तें निर्मुक्‍त की जाती थीं ।

\*\*\*\*\*